न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 217/2020 निर्णय दिनांक :– 05.02.2021

मथूरा देवी पत्नि श्री रामप्रसाद जाति धाकड़ उम्र 40 वर्ष निवासी भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीया–

–बनाम–

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

–उपस्थिति –
श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीया

पेराकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या 39 खसरा नं0 165 रकबा 1.40 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजी में वर्णित प्रार्थीया की भूमि के पास में ही राजकीय भूमि खसरा नं0 167, खसरा नं0 166 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीया उक्त राजकीय भूमि से ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 165 पर कृषि कार्य व काश्त करने के लिये वर्षो से आती जाती है। क्योंकि उक्त राजकीय भूमि के दक्षिणी मोड़ के पास कदीमी रास्ता वर्तमान मे बना हुआ है। उक्त अस्थायी कदीमी रास्ते को प्रार्थीया अपनी जोत में साधन लाने जाने मे उपयोग करती आ रही है। उक्त वर्णित भूमि में आने जाने के लिये वर्तमान में रिकार्डली रास्ता विद्यमान नही है। प्रार्थीया राजकीय भूमि खसरा नम्बर 167, 166 भूमि के पश्चिम से पूर्व की मेड में से होकर अपने खातेदारी के खेत जाकर कृषि कार्य करती है, परन्तु उक्त राजकीय भूमि के पास मे स्थित अपनी भूमि पर मिलने

के उदद्वेश्य से उक्त राजकीय भूमि में बने अस्थायी कदीमी रास्ते मे कांटो की बाड लगाकर रास्ते का अवरोध कर प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की जाकर प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो का हनन किया। उक्त राजकीय भूमि में वर्तमान अस्थायी रास्ता बना हुआ है। जो रिकार्डली रास्ता नही है। उक्त रास्ता रिकार्डली नही होने का फायदा उठाकर राजकीय की भूमि के पश्चिम से पूर्व दिशा की मेड के पास के खातेदारों ने उक्त राजकीय भूमि की सीमा मे बने अस्थायी रास्ते मे कांटो की बाड लगाकर रास्ता अवरोध कर प्रार्थीया की उक्त खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने के लिये उक्त राजकीय भूमि में बने अस्थायी कदमि रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व फसल कास्त करने के लिये उक्त रास्ता ही आने जाने के सुविधाजनक व सुगम रास्ता है। उक्त राजकीय भूमि खसरा नम्बर 167, 166 में रिकार्डली रास्ता नही होने से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व फसल कास्त करने के लिये आने जाने के लिये काफी परेशान आती है। प्रार्थीया के उक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया की सुविधा के अनुसार उक्त राजकीय भूमि में बने अस्थायी रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करना सुविधाजनक है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी खातेदार की जोत में कृषि कार्य करने के लिये जाने के लिये रास्ता नही है तो उक्त खातेदार को अपने खातेदारी के खेतों मे कृषि कार्य करने के लिये खातेदार की सुविधानुसार रास्ता दिया जाना वैधानिक है। इसी कारण राजकीय भूमि के खसरा नं0 167, 166 की दक्षिणी दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व मे 30 फिट का रास्ता दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीया उक्त राजकीय भूमि से कानूनी 30 फिट का रास्ता करने के अधिकारणी है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी भूमि में आने जाने व कृषि कार्य करने के लिये उक्त खातेदारी भूमि के समीप अन्य कोई रास्ता नही है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार देवली ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः—प्रार्थियों के पहुंच मार्ग के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की

चौड़ाई 10 मी0 एवं ख0नं0 167 में से लम्बाई 140 मी0 है एवं ख0नं0 166 में से लम्बाई 32 मी0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 1720 वर्ग मी0 है। चाहे जाने वाले रास्ते में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर 306836 रूपये प्रति है0 है जिसकी एक गुना राशि 52781.47 रू एवं दुगुनी दर से प्रतिकार राशि 105562.94 रू होगी। आवेदक की भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ख0नं0 167 एवं 166 से चाहा गया है जिसे लाल स्याही चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़ दिवार आदि नही है। अप्रार्थी तहसीलदार देवली (सिवायचक) भूमिधारक है। प्रस्तावित रास्ता भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रस्तावित नवीन रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, डीएलसी की छाया प्रति एवं मौका रिपोर्ट संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर प्रभावशाली लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है तथा जब तहसीलदार जी से शिकायत करते है तो वो बताते है कि सिवायचक भूमि का सभी उपयोग उपभोग कर सकते है। इस कारण से प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में जाने हेतु रास्ता चाहिए। माननीय न्यायालय से यह भी प्रार्थना है कि प्रार्थीया अत्यन्त गरीब महिला है जो इतनी राशि का भुगतान नहीं कर सकती है। अतः प्रार्थीया को 30 फीट चौड़ाई के रास्ते के बदले केवल 6 मीटर चौड़ाई के रास्ता ही प्रदान करे ताकि प्रार्थीया को कुछ राहत मिल सके और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 165 रकबा 1.40 है0 है। प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 167 रकबा 1.85 है0, व ख. नं. 166 रकबा 0.17 है0 है, जिसमें से प्रार्थीया रास्ता चाहती है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में बताया कि ख. नं. 166 व 167 सिवायचक भूमि है जिस पर गिरोहबन्द लोग अतिक्रमण कर लेते है और प्रार्थीया एक गरीब काश्तकार महिला है जो उन बदमाश, गिरोहबन्द व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए रिकॉर्डेड रास्ते की सख्त आवश्कता है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ख. नं. 167 में रास्ता जिसकी चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 140 मीटर अर्थात 840 वर्गमीटर एवं ख. नं. 166 में रास्ता जिसकी चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 32 मीटर अर्थात 192 वर्गमीटर क्षैत्रफल कुल क्षेत्रफल 1032 वर्ग मीटर के रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 63324/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दर से पुनः गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे। पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली